झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

पंचम-सत्र

वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, गुरुवार, दिनांक- 27 फाल्गुन, 1937 (श0) / 17 मार्च, 2016 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
200.	अ0सू0-54	श्री अरूप चटर्जी	मुआवजा देना	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उप0 मामले	08.03.16
201.	अ0सू0-49	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	अधिनियम का अनुपालन	महिला बाल विकास एवं सामा0 सुरक्षा	01.03.16
202.	अ0सू0-45	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करना	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	08.03.16
203.	अ0सू0-46	श्री सुखदेव भगत	बिजली पहुँचाना	ऊर्जा	25.02.16
204.	अ0सू0-47	श्री रामचन्द्र सहिस	जल कर की वसूली	जल संसाधन	29.02.16
205. (उत्तर मुद्रित)	अ0सू0-35	श्री प्रदीप यादव	चिन्हित कर दण्ड देना	कल्याण	17.02.16
*206.	अ0सू0-53	श्री बिरंची नारायण	परेशान करने पर रोक	जल संसाधन	04.03.16
207.	अ0सू0-43	श्री सुखदेव भगत	शोध कार्य को चालू कराना	कल्याण	22.02.16
208.	अ0सू0-44	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	कैनाल की मरम्मति	जल संसाधन	25.02.16
209.	अ0सू0-30	श्री राधाकृष्ण किशोर	आवासीय विद्यालय की स्थापना	कल्याण	17.02.16

नोट:- * जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक-1695, दि. 14.3.16 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को स्थानान्तरित।

कृ0पृ0उ0/-

01	02	03	04	05	06
210.	अ0सू0-55	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	शेष कार्य नये रेट से करवाना	ऊर्जा	08.03.16
211.	अ0सू0-41	श्री प्रदीप यादव	पदाधिकारियों पर कार्रवाई	कल्याण	22.02.16

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

राँची
दिनांक-17 मार्च, 2016 ई0।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2016-2201/वि0स0, राँची, दिनांक- 14 मार्च, 2016 ई0।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.16
(गुरूचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2016-2201/वि0स0, राँची, दिनांक- 14 मार्च, 2016 ई0।

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

14.3.16
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

एक्का/-

(200)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 17.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–54 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अरूप चटर्जी,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सुखाड़ से 11 लोगों की मौत इसलिए हुई है कि राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना सही रूप चल नहीं पा रही है;	अस्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 का अधिकारिक पुष्टि सरकार के सामाजिक, आर्थिक एवम् राजस्व सूचकांक रिपोर्ट 2015–16 के पृष्ठ संख्या–42 में सुखाड़ से 11 लोगो की मृत्यु को स्वीकारा गया से है;	सामाजिक, आर्थिक एवम् राजस्व सूचकांक रिपोर्ट 2015–16 को तैयार करने वाली संस्था Institute of Human Development, Eastern Regional Centre ने स्वीकार किया है कि राज्य में सूखे से मृत्यु होने की प्रविष्टि टंकण भूल के कारण हुई है। वस्तुतः यह संख्या अग्नि से हुई मृत्यु से संबंधित है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के उक्त 11 परिवार के आश्रितों को उचित मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

ह0/–
(आलोक त्रिवेदी),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 45/2016 1060 /राँची, दिनांक 16-03-16

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 2099, वि0स0, दिनांक 08.03.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/16

सरकार के उप सचिव।

(201)

दिनांक–17.03.2016 को श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रष्न संख्या– अ0सू0–49 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम राज्य में लागू है और इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में नियमावली बनायी थी।	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त अधिनियम का अनुपालन नहीं होने के कारण वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है।	अस्वीकारात्मक ।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में उक्त अधिनियम का अनुपालन सुनिष्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	1. इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2008 से विभाग के अधिसूचना सं0–492 दिनांक–12.04.2008 से झारखण्ड राज्य में प्रवृत किया गया है। अधिनियम के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–289 दिनांक–14.02.2009 द्वारा अनुमण्डल स्तरीय भरण पोषण, न्यायाधिकरण एवं जिला स्तरीय अपिलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, इसके अतिरिक्त विभागीय अधिसूचना सं0–290 दिनांक–14.02.2009 द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकरियों को भरण पोषण पदाधिकारी नामित किया गया। 2. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम–2007 द्वारा प्रदत्त शक्यिों को विभागीय अधिसूचना सं0–1800 दिनांक–16.09.2014 एवं संकल्प सं0–1801 दिनांक–16.09.2014 द्वारा झारखण्ड राज्य माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली –2014 की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त नियमावली के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0वि0स0/अ0सू0–102/2016 – 749 राँची, दिनांक : 15/03/2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1863/वि0स0 दिनांक–01.03.2016 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3

(आर0 इ0 पात्रो)
सरकार के उप सचिव।

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–45 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि करीब 40 करोड़ के लागत वाले बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची द्वारा गढ़वा जिला मुख्यालय में कृषि महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बावजूद वहाँ शैक्षणिक कार्य अभीतक प्रारम्भ नहीं हो पाया है, जिससे सैकड़ों मेधावी छात्र कृषि विज्ञान के पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आगामी सत्र 2016–17 से शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?	गढ़वा कृषि महाविद्यालय को पी0पी0पी0 मोड पर संचालन हेतु एजेंसी के चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सुयोग्य एजेंसी के चयन के उपरान्त शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ करने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–09/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–58/2016 931 कृ0,राँची,दिनांक– 11-03-16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1591 दिनांक–25.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11-3-16

(राम प्रसाद सोय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–09/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–58/2016 931 कृ0,राँची,दिनांक– 11-03-16

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11-3-16

सरकार के संयुक्त सचिव

(203)

श्री सुखदेव भगत, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.03.2016 को पूछे जाने वाले

अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–46 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सुखदेव भगत, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण घरों को ऊर्जान्वित करने का चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 2 लाख 58 हजार 8 सौ 59 है, जबकि इस लक्ष्य के विरूद्ध 31 दिसम्बर 2015 तक मात्र 61 हजार 6 सौ पाँच घरों को ही ऊर्जान्वित किया जा सका है;		आंशिक स्वीकारात्मक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ए0पी0एल0 परिवारों को आवेदन के विरूद्ध विद्युत संबंध दिये जाते हैं। इसके अन्तर्गत 85891 विद्युत संबंध दिया गया है। इसके अलावा राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के 10वीं एवं 11वीं योजना में चालू वित्तीय वर्ष (2015–16) में शेष बचे हुए 260214 बी0पी0एल0 परिवारों को संबंध दिया जाना है। इसके विरूद्ध 28.02.2016 तक कुल 7713 बी0पी0एल0 संबंध दिया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में और 1762 बी0पी0एल0 परिवारों को संबंध देने का कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कुल 9475 बी0पी0एल0 संबंध इस वित्तीय वर्ष में दिया जा सकेगा। इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 93604 विद्युत संबंध दिया जा चुका है एवं 1762 विद्युत संबंध देने का कार्य प्रगति पर है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीण घरों तक बिजली पहुंचाने के निधारित लक्ष्य को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करा लेने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		शेष 250739 बी0पी0एल0 विद्युत संबंध निर्गत करने का लक्ष्य निम्नवत् है:– 1. चतरा जिले में शेष 55545 बी0पी0एल0 संबंध मे0 डी0भी0सी0 द्वारा किया जाना है जिसे जून 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। चतरा जिले में ग्रिड कनेक्टिवीटी नहीं रहने के कारण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हुआ। कार्य पूर्ण करने हेतु डी0वी0सी0 को नियमित तौर से आर0ई0सी0 एवं निगम के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। 2. गढ़वा, पलामू एवं लातेहार जिलों में शेष 161196 बी0पी0एल0 संबंध अगस्त 2016 तक करने का लक्ष्य निर्धारित है। मेसर्स आई0भी0आर0सी0एल0 द्वारा कार्य बीच में छोड़ देने के कारण इतने बी0पी0एल0 संबंध शेष रह गये। गढ़वा, पलामू एवं लातेहार जिलों में विद्युतीकरण का कार्य विभागीय स्तर पर किया जा रहा है एवं कार्य प्रगति पर है। 3. पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला जिले में शेष 33998 बी0पी0एल0 संबंध जून 2016 तक करने का लक्ष्य निर्धारित है जो कि ग्रामों एवं सब–स्टेशन के अपूर्ण रहने के कारण शेष रह गये है। सभी शेष कार्य एवं बी0पी0एल0 संबंध को पूर्ण करने का कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त सभी शेष बी0पी0एल0 संबंध निर्धारित समय अथवा आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने हेतु निगम प्रतिबद्ध है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 783 /

दिनांक 16-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/16

सरकार के अवर सचिव

(204)

श्री राम चन्द्र सहिस, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 17.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ०सू०–47 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि "टाटा स्टील लि०" जमशेदपुर द्वारा सरकार से स्वर्णरेखा नदी का पानी 2/–(दो) रूपया प्रति क्युसेक मीटर की दर से लेकर, ऊँची कीमत पर बेच कर जनता से व्यवसाय करता है, जिससे सरकार का करोड़ो रूपया नुकसान होता है ;	(क) जल संसाधन विभाग द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड को सुवर्णरेखा नदी पर अवस्थित चांडिल डैम से डैम के down stream से 124.45 MCM प्रतिवर्ष पानी लेने की स्वीकृति दी गयी थी। दिनांक 30.05.2013 के प्रभाव से इस पानी की मात्रा को बढ़ाकर 228.86 MCM प्रतिवर्ष कर दिया गया। इस पानी के उपयोग के एवज में टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार को 4.50 रूपये प्रति हजार गैलन के दर से भुगतान करना था। दिनांक 01.04.2011 के प्रभाव से इस दर को बढ़ाकर 26.40 रूपये प्रति हजार गैलन कर दिया गया है। (ख) इस मद में जनवरी 2016 तक टाटा स्टील लिमिटेड के यहाँ 437.45 करोड़ रूपये की बकाया राशि के विरूद्ध 192.00 करोड़ रूपये का भुगतान उनके द्वारा किया गया है। (ग) दर बढ़ोत्तरी के विरूद्ध टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP(C) No. 4544/2011 दायर किया गया है। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2011 को यह अंतरिम आदेश पारित किया गया कि राज्य सरकार बकाया राशि की वसूली हेतु टाटा स्टील लिमिटेड के विरूद्ध न तो कोई कार्रवाई करेगी और न ही पानी की निकासी को अवरूद्ध करेगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड को निर्देश दिया गया कि अगले आदेश तक वे राज्य सरकार को मात्र एक करोड़ रूपये प्रति माह की दर से भुगतान करेंगे। (घ) जल संसाधन विभाग को इस आशय की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा इस पानी को किस दर पर किसे बेचा जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि "टाटा स्टील लि०" जमशेदपुर पर "जलकर" के रूप में सरकार का पंन्द्रह सौ करोड़ रूपया बकाया है ;	"टाटा स्टील लि०" जमशेदपुर पर जनवरी 2016 तक Water Tariff मद में रू० 245.45 करोड़ राशि बकाया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार "टाटा स्टील लि०" जमशेदपुर के खिलाफ जाँच कराकर बकाया "जलकर" की रकम वसूली करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति उपरोक्त कंडिका–1 के उत्तर प्रतिवेदन में स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक : 6/ज0 सं0 वि0–10–अ०सू०–09/2016– 1747 राँची/दिनांक– 16.03.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1766 वि0 स0, दिनांक 29.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

3. प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

4. मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, ईचा–गालुडीह कम्प्लेक्स/चाण्डिल कम्प्लेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/2016

उप सचिव (अभि0)
जल संसाधन विभाग

चिह्नित कर दण्ड देना ।

उत्तर मुद्रित

205. श्री प्रदीप यादव--क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा लाह के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य विभाग की अकर्मण्यता के कारण विगत पाँच वर्षों से राज्य को नहीं मिल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि समर्थन मूल्य लागू नहीं करने के कारण लाह कृषकों को कम दाम में बिचौलियों के हाथों लाह बेचना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब लाह का समर्थन मूल्य लागू करने एवं दोषी अकर्मण्य पदाधिकारियों को चिह्नत कर दण्ड देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) अस्वीकारात्मक है ।

भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में लाह एवं अन्य लघुवनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू किया गया ।

इसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्रांक-2/19/2013-CP&R दिनांक 3 जनवरी, 2014 द्वारा मांग निर्देश जारी किया गया एवं पत्रांक-19/1/2014-CP&R दिनांक 1 जनवरी, 2015 द्वारा लाह का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है ।

अत: यह बात सही नहीं है कि लाह के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य का लाभ विगत पाँच वर्षों से राज्य को नहीं मिल रहा है ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-2/19/2013-CP&R दिनांक 3 जनवरी, 2014 द्वारा लाह के लिए स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य कुसुमी लाह रु० 320.00 (तीन सौ बीस रुपये) एवं रंगीनी लाह रु० 230.00 (दो सौ तीस रुपये) प्रति किलो ग्राम की दर से राज्य के लाह कृषकों से लाह का क्रय कर उन्हें RTGS के माध्यम से भुगतान कर लाभान्वित किया जा रहा है ।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-19/12/2014-CP&R दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 द्वारा रु० 4.25 करोड़ RTGS के माध्यम से सीधे कार्यकारी एजेन्सी झास्कोलैम्फ के खाते में दिया गया है ।

उक्त प्राप्त राशि से झास्कोलैम्फ द्वारा खूँटी, सरायकेला-खरसाँवा, राँची, सिमडेगा एवं गुमला में वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु० 358.36 लाख का कुल 111.72 मैट्रिक टन लाह का आहरण किया गया है ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के माह सितम्बर में अपने पत्रांक-19/12/2014-CP&R दिनांक 29 सितम्बर, 2015 द्वारा रु० 18.32 करोड़ RTGS के माध्यम से पुन: सीधे कार्यकारी एजेन्सी झास्कोलैम्फ के खाते में दिया गया है जिसके आलोक में झास्कोलैम्फ द्वारा उक्त योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

(3) उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

(206)

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–17.03.16 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–53 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची के कांके डैम के कैचमेंट एरिया की जमीन का अतिक्रमण कर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राँची नगर निगम द्वारा Open Space में निर्माण की जाँच करायी गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि इन अवैध निर्माणों पर रोक लगाने के बजाय विभाग एवं राँची नगर निगम द्वारा ऐसे नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिनके पास भवन निर्माण हेतु पारित नक्शा है तथा उनको भी नोटिस भेजकर भयादोहन किया जा रहा है ?	अस्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियमानुसार उक्त स्थिति की जांच कर अतिक्रमणकारियों से उक्त भूमि को खाली करवाने एवं जिन लोगों द्वारा राँची नगर निगम से नक्शा पास करवा कर भवन निर्माण किया गया है, उन लोगों को विभाग द्वारा अनावश्यक परेशान किये जाने पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	कांके डैम/गोन्दा डैम क्षेत्र में राँची नगर निगम द्वारा अवैध रूप से पब्लिक ऑपेन स्पेस में निर्मित भवनों पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं Building Bye - Laws के अन्तर्गत कुल पंचानवे (95) व्यक्तियों पर अनाधिकृत निर्माण वाद दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई नगर आयुक्त, राँची नगर निगम के न्यायालय में चल रही है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–8/अल्पसूचित/103/2016/न0वि0 1508/ राँची, दिनांक :– 16/03/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–2023, दि0–04.03.2016 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.03.16

सरकार के अवर सचिव।

U.D.D. Hall :/E:/Munni/Letter/Bidhan Sabha -Mu- 189

श्री सुखदेव भगत, स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 17.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–43 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	माननीया मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राँची अवस्थित डा० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को राज्य एवं केन्द्र सेवाओं की परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिये जाने का कार्यक्रम अभी बंद हो गया है।	स्वीकारात्मक। कल्याण विभाग, झारखण्ड के सभी 10 प्राक् परीक्षा केन्द्र को बंद कर इन छात्रों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रख्यात संस्थानों के माध्यम से कराने के निर्णय के आलोक में इन केन्द्रों को दिनांक 01.11.2006 से बंद करने का निर्णय लेते हुए उनमें कार्यरत कर्मियों को दिनांक 01.11.2006 के प्रभाव से विभागान्तर्गत कार्यालयों में समायोजित एवं पदस्थापित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि संस्थान में शोध का काम दो वर्षों से बंद पड़ा है।	अस्वीकारात्मक। जनजातीय शोध संस्थान, राँची से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार संस्थान में शोध संकाय का कई पद रिक्त होने के बावजूद भी शोध का कार्य जारी है । शोध कार्यों में– 1. **बेस लाइन सर्वे** के अन्तर्गत – TSP क्षेत्र में राजस्व ग्रामों का बेंच मार्क सर्वेक्षण –आदिम जाति सर्वेक्षण –TSP क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग/NGO द्वारा संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों/उप केन्द्रों का मूल्यांकन अध्ययन –अनुसूचित जनजातीय परिवारों के आर्थिक स्थिति के सुधार में स्वयं सहायता समूह की भूमिका पर राष्ट्रस्तरीय शोध –TSP क्षेत्र में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का मूल्यांकन अध्ययन 2. <u>जाति शोध अध्ययन</u>–लोहडिया जाति पर पुर्नअध्ययन 3. **शोध परक मुद्रण** –झारखण्ड से जुड़ी संस्कृति ,गाथा, कहानियाँ ,लोकोक्तियाँ तथा अन्य पारम्परिक बातों प्रलेखीकरण द्वारा प्राप्त संग्रहित सामग्रियाँ मुद्रित। –पूर्व प्रकाशित संक्षिप्त मोनोग्राफ, पुस्तकों, जनजातीय भाषा अकादमी के विभिन्न पुस्तक का मुद्रण/पुनर्मुद्रण –संस्थान के जर्नल का प्रकाशन 4. **कार्यशाला** –सिकल सेल एनिमिया के रोकथाम हेतु प्रशिक्षण –जलाशयों के प्रबंधन एवं संवर्द्धन –विश्व आदिवासी दिवस 2015 के अवसर पर सेमिनार (क) आदिम जनजाति के विकास (ख) 21वीं सदी और विश्व आदिवासी दिवस (ग) जनजातीय परम्परागत स्वशासन व्यवस्था

		(घ) भाषा उत्सव पर UNICEF के सहयोग से 19 भाषाओं पर परिचर्चा (ङ) वन अधिकार अधिनियम पर PACS के सहयोग से परिचर्चा –UNICEF झारखण्ड ईकाई के सहयोग से मातृभाषा आधारित सक्रिय भाषा सीखना परियोजना अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं/ जनजातीय भाषाओं में वर्ग–1 एवं 2 का पाठ्यपुस्तक सामग्री हेतु कार्यशालाओं का आयोजन –विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन
3	यदि उपर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आदिवासी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने तथा बंद पड़े शोध कार्य को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों।	उपर्युक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

15/03/16
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–03/वि0स0प्र0–07/2016(क) 958 राँची, दिनांकः– 15/3/16.

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1328 दिनांक–22.02.16 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रशाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/16
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव।

208

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–44 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत अन्नराज डैम का निर्माण कार्य वर्ष 1971–72 में कराया गया था और आज इस डैम से निकलने वाले मुख्य तथा डिस्ट्रब्युटरी कैनाल की स्थिति अत्यंत जर्जर है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कैनाल की मरम्मति तथा गहरीकरण के अभाव में समुचित ढंग से पटवन कार्य नहीं हो पाता है ;	कैनाल की मरम्मति के अभाव में सुचारू रूप से पटवन कराये जाने में बाधा होती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अन्नराज डैम के मुख्य तथा डिस्ट्रब्युटरी कैनाल की मरम्मति एवं कैनाल लाईनिंग कराना चाहती है, जिससे पानी की बर्बादी कम, पटवन ज्यादा हो सके, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अन्नराज जलाशय योजना का ERM कार्य के अन्तर्गत जीर्णोद्धार एवं नहरों का लाईनिंग कार्य का DPR तैयार कराया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में कार्यान्वयन प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–08/16 – 1711 **/राँची, दिनांक** 15.03.16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1592 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/16

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री राधाकृष्ण किशोर, स० वि० स० द्वारा दिनांक–17.03.2016 को पुछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–30 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर पुरूषों की तुलना मे अत्यंत कम है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के अनुसूचित जाति की महिलाओं के शैक्षणिक विकास के लिए राजधानी राँची सहित सभी जिला मुख्यालयों में अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय के स्थापना का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा अनुसूचित जाति बहुल जिलों में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के लिए कुल 23 आवासीय विद्यालय संचालित की जा रही है, जिसमें से अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए कुल 5 प्राथमिक आवासीय विद्यालय (पलामू में 2 एवं चतरा में 3) संचालित है। वर्तमान में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए उच्च विद्यालय की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव किसी जिला से प्राप्त नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता, संबंधित जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों की संख्या एवं आवश्यकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–06/वि० स०–06/2016–क– 963 राँची, दिनांक– 15/3/16

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1036 दिनांक–17.02.2016 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/2016

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के संयुक्त सचिव।

210

प्रो० स्टीफन मराण्डी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.03.2016 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–55 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता प्रो० स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा NIT No.- 05/Civil/In/TVNL/RAM/2006-07, दिनांक–13.01.2006 के विरूद्ध M/s Singhson Construction Company, Deoghar को कार्यादेश सं०–18/07 दिया गया है;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त कम्पनी द्वारा कार्यादेश संख्या–18/07 के तहत् भवन निर्माण का लगभग 70% कार्य वर्ष 2006–07 में ही कर दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक । TVNL का कार्यादेश सं0 18/07, दिनांक 24.08.2007 के तहत भवन निर्माण का लगभग 30% कार्य वर्ष 2007–08 में बिना एकरारनामा किए कंपनी के अधिकृत संवेदक द्वारा किया गया था।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त कम्पनी के साथ आजतक एकरारनामा नहीं किया गया है फलतः कम्पनी को लगभग 30 (तीस) लाख रूपये का किये गये कार्य का भुगतान लम्बित है ;	अस्वीकारात्मक। TVNL का कार्यादेश सं0 18/07, दिनांक 24.08.07 की कंडिका 10 के अनुसार कम्पनी को दिनांक 24.09.2007 तक एकरारनामा कर लेना चाहिए था परंतु कम्पनी द्वारा दिनांक 17.07.2010 को एकरारनामा हेतु आवेदन दिया गया जो कि उक्त कार्यादेश के शर्त्तों के अनुसार नहीं है । TVNL के पत्रांक 598/10–11, दिनांक 01.09.10 द्वारा कम्पनी के कार्यशिथिलता को देखते हुए सूचित किया गया कि सशर्त्त एकरारनामा किया जाय ताकि पूर्ण कार्य सम्पन्न करने के बाद एकमुश्त भुगतान किया जायगा ताकि निगम को क्षति नही उठानी पड़े । परंतु कम्पनी द्वारा सशर्त एकरारनामा नही किया गया । उपरोक्त कार्यादेश के तहत भवन निर्माण का लगभग 30% कार्य किया गया है । जिसका लागत 13,66,000/रूपए के लगभग मे होगा। एकरारनामा नही होने के वजह से यह भुगतान लम्बित है ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है, तो क्या सरकार कम्पनी द्वारा किये कार्य का भुगतान ब्याज सहित करते हुए शेष कार्य नये से Schedule of rate करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	कम्पनी द्वारा कार्य का भुगतान ब्याज सहित नही किया जा सकता क्योंकि इनके द्वारा एकरारनामा नही होने के कारण इनका भुगतान नही किया जा सका । शेष कार्य करने हेतु निगम, संबंधित कम्पनी से वार्ता कर कार्य कराने के बिन्दु पर समुचित निर्णय लेगी ।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 778 / दिनांक 16-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव 16/3/16

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\2016\25-02-16

(211)

श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 से द्वारा दिनांक–17.03.2016 को पुछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–41 का उत्तर सामग्री।

<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है, कि राज्य से बाहर उच्च तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले गरीब मेधावी ओ0बी0सी0 छात्रों को सरकारी नियमानुसार शैक्षणिक वर्ष 2011–12 से अबतक से छात्रवृति की राशि का वितरण नहीं किया गया है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
वस्तुतः राज्य से बाहर संस्थानों में अध्ययनरत् पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति निम्नवत भुगतान किया गया है।
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>छात्र/छात्राओं की संख्या</th><th>भुगतान की राशि</th></tr>
<tr><td>2011–12</td><td>3669</td><td>17,31,77,720/–</td></tr>
<tr><td>2012–13</td><td>9540</td><td>45,41,56,827/–</td></tr>
<tr><td>2013–14</td><td>7494</td><td>34,88,56,713/–</td></tr>
<tr><td>2014–15</td><td>4594</td><td>20,71,33,005/–</td></tr>
<tr><td>2015–16</td><td colspan="2">भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सहायता राशि के आभाव में हजारों ओ0बी0सी0 छात्रों को समय पर फीस नहीं चुकाने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पडी है वहीं कई छात्र तो बाजार से उच्च दर पर कर्ज लेकर अपनी पढाई भी पूरा कर लिए हैं;</td><td>उक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अगर उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब 2011–12 से अबतक ओ0बी0सी0 छात्रों के लिए बकाया छात्रवृति राशि का भुगतान करने एवं आवंटन में विलम्ब और बजट में समूचित राशि का प्रावधान नहीं करने वाले लापरवाह पदाधिकारियों पर दण्डात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?</td><td>पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर मद में तृतीय अनुपूरक आगणन के तहत 100 करोड़ रुपये का बजट उपबंध किया गया है, जिसके विरुद्ध राज्य से बाहर अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं का बकाया छात्रवृति के लिए राशि निर्गत की गई है तथा भुगतान प्रक्रिया अन्तर्गत है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–4/वि0स0प्र0(अल्प0)–16 /16–क– 977 राँची, दिनांकः– 16/3/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1329 दिनांक–22.02.16 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सी0 के0 सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।